

## प्रपत्र 11

परियोजना का नाम :— प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कोटगाँव(नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई—15.00 कि०मी० ) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मार्ग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट कलाप की आबादी 469 है जो अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि 2.565 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०, नाप भूमि 2.745 है०, सिविल सोयम भूमि 8.550 है०, सिविल सोयम भूमि एवं आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग—अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० 2 को निरस्त कर समरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं० 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 15.00 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 9 मीटर चौड़ाई में आने वाली सिविल सोयम भूमि 8.190 है०, एवं मलवा 0.360 है० तथा 9 मीटर चौड़ाई में आरक्षित वन भूमि 2.565 है०, मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित वन भूमि शून्य है० प्रधानमन्त्री ग्रामीण सङ्क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कामेन्ठ अभियंता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
पी०आई०य००-मोरी  
उत्तरकाशी

सहायक अभियंता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
पी०आई०य००-मोरी  
उत्तरकाशी

अधिकारी अभियंता  
Executive Engineer  
P.M.C.S.Y., P.L.I.U., Mori  
(Uttarkashi)  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
पी०आई०य००-मोरी  
उत्तरकाशी